<u>न्यायालय–नवम् अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर (म0प्र0)</u>
<u>(पीठासीन अधिकारी–आत्माराम टांक)</u>

Registration No. ST -478/2022
Reg. Date 11-10-2022
CNR No MP0701-025425-2022
Filing No. 20168/2022

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला ग्वालियर श्रीमती सरोज बाला मुजाल्दा के न्यायालय के दांडिक प्रकरण क्रमांक 3759/2022 (पुलिस थाना हजीरा जिला ग्वालियर के अपराध क्रमांक 155/2022 अंतर्गत धारा 304, 34 भा.द. सं. 1860) मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस थाना हजीरा विरूद्ध धर्मेन्द्र आदि में पारित उपार्पण आदेश दिनांक 20.09.2022 से उद्भूत सत्र प्रकरण।

परिवादी	म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र हजीरा जिला ग्वालियर म.प्र.
प्रतिनिधित्व द्वाराः–	श्री मृत्युंजय गोस्वामी अपर लोक अभियोजक।
अभियुक्तगणः–	1. धर्मेन्द्र पुत्र खेमचन्द्र कोली, उम्र 29 वर्ष, 2. विनोद पुत्र खेमचन्द्र कोली, उम्र 32 वर्ष, 3. हेमंत उर्फ कालू पुत्र खेमचन्द्र कोली, उम्र 26 वर्ष, 4. राजेन्द्र कुमार उर्फ टिल्लू पुत्र जमुना प्रसाद कोली, उम्र 28 वर्ष, निवासीगण–न्यू इन्द्रा नगर, चार शहर का नाका, हजीरा, जिला ग्वालियर, म.प्र.
प्रतिनिधित्व द्वाराः–	अभियुक्त धर्मेन्द्र की ओर से श्री पीयूष गुप्ता अधिवक्ता।

	अभियुक्तगण राजेन्द्र, हेमंत एवं विनोद की ओर से श्री नवीन कछौरिया अधिवक्ता।

प्रारूप–ड

अपराध की तारीख	19.03.2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तारीख	01.04.2022
अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक	12.07.2022
आरोपों के विरचना की तारीख	02.12.2022
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	21.02.2023
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख	24.11.2025
निर्णय की दिनांक	28.11.2025
दंडादेश यदि कोई हो, की तारीख	28.11.2025

प्रारूप–च

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची
क. अभियोजन

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंचसाक्षी, अन्य)
अ.सा. 01	राजकुमारी इटेलिया	चक्षुदर्शी साक्षी
अ.सा. 02	ज्योति इटेलिया	चक्षुदर्शी साक्षी
अ.सा. 03	नरेश इटेलिया	फरियादी साक्षी
अ.सा. 04	मनोज आर्य	चक्षुदर्शी साक्षी
अ.सा. 05	हेमवती	चक्षुदर्शी साक्षी

अ.सा. 06	डॉ. सार्थक जुगलान	चिकित्सीय साक्षी
अ.सा–07	राजवीर सिंह	मर्ग जांचकर्ता एवं एफआईआर लेखक
अ.सा–08	नरेन्द्र छिकारा	अनुसंधानकर्ता
अ.सा–09	जयसिंह निगम	पुलिस साक्षी
अ.सा.–10	वीरेन्द्र सिंह राजावत	मर्ग कायमीकर्ता एवं जप्तीकर्ता

<u>ख. प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो–</u>

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंचसाक्षी, अन्य)
कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं

<u>ग. न्यायालीन साक्षी यदि कोई हो</u>

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंचसाक्षी, अन्य)
कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची
क. अभियोजन

स.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
01	प्रदर्श पी 01/अ.सा.03	अप्राकृतिक मृत्यु का पंजीकरण
02	प्रदर्श पी 02/अ.सा.03	सफीना फार्म
03	प्रदर्श पी 03/अ.सा.03	नक्शा पंचायतनामा
04	प्रदर्श पी 04/अ.सा.03	अपराध विवरण फार्म
05	प्रदर्श पी 05/अ.सा.03	डीव्हीडी का जप्ती पंचनामा
06	प्रदर्श पी 06/अ.सा.03	डीव्हीडी अवलोकन पंचनामा
07	प्रदर्श पी 07/अ.सा.03	लाश सुपुर्दगी रसीद
08	प्रदर्श पी 07ए/अ.सा.06	शव परीक्षण प्रतिवेदन
09	प्रदर्श पी 08/अ.सा.07	मर्ग जांच प्रतिवेदन
10.	प्रदर्श पी 09/अ.सा.07	प्रथम सूचना रिपोर्ट
11.	प्रदर्श पी 10/अ.सा.08	अभियुक्त धर्मेन्द्र का गिरफ्तारी पत्रक
12.	प्रदर्श पी 11/अ.सा.08	अभियुक्त विनोद का गिरफ्तारी पत्रक
13.	प्रदर्श पी 12/अ.सा.08	अभियुक्त हेमंत उर्फ कालू का गिरफ्तारी पत्रक
14.	प्रदर्श पी 13/अ.सा.08	अभियुक्त राजेन्द्र कुमार उर्फ टिल्लू का गिरफ्तारी पत्रक
15.	प्रदर्श पी 14/अ.सा.08	प्रकरण में जप्तशुदा माल परीक्षण हेतु भेजने का ड्राफ्ट
16	प्रदर्श पी 15/अ.सा.08	माल जमा रसीद
17	प्रदर्श पी 16/अ.सा.08	प्रकरण में जप्तशुदा माल

		क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला ग्वालियर को भेजने का ड्राफ्ट
18	प्रदर्श पी 17/अ.सा.08	माल जमा रसीद
19	प्रदर्श पी 18/अ.सा.08	क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला ग्वालियर से प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदन
20	प्रदर्श पी 19/अ.सा.09	धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र
21	प्रदर्श पी 20/अ.सा.10	जेएएच ग्वालियर से प्राप्त विसरा का संपत्ति जप्ती पत्रक

ख. प्रतिरक्षा प्रदर्शों की सूची

सं. क्रं.	प्रदर्श	विवरण
1	प्रदर्श डी 01/अ.सा.02	साक्षी ज्योति का पुलिस कथन
2	प्रदर्श डी 02/अ.सा.02	अप.क्रं. 121/22 की प्रथम सूचना रिपोर्ट
3	प्रदर्श डी 03/अ.सा.02	अप.क्रं. 121/22 में फरियादी ज्योति के पुलिस कथन
4	प्रदर्श डी 04/अ.सा.03	फरियादी के पुलिस कथन
5	प्रदर्श डी 05/अ.सा.04	साक्षी मनोज का पुलिस कथन
6	प्रदर्श डी 06/अ.सा.05	साक्षी हेमवती का पुलिस कथन

ग. न्यायालीन प्रदर्श की सूची

सं. क्रं.	प्रदर्श	विवरण

निरंक	निरंक	निरंक

घ. आवश्यक वस्तुयें

सं. क्रं.	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
1.	आर्टिकल ए–1	डीव्हीडी

//निर्णय//

(आज दिनांक 28.11.2025 को घोषित)

01. अभियुक्तगण धर्मेन्द्र, विनोद, हेमंत उर्फ कालू, राजेन्द्र उर्फ टिल्लू के विरूद्ध भा.दं.सं. 1860 की धारा 304 भाग–2, 323 सहपठित धारा 34 एवं 294 के अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 19.03.2022 रात्रि 10:00–10:15 बजे, आरक्षी केन्द्र हजीरा क्षेत्रान्तर्गत इन्द्रानगर, चार शहर का नाका में स्थित मृतक जगदीश के घर के बाहर सामान्य आशय के अग्रसरण में, मामले में आहत नरेश इटेलिया से झगड़े के दौरान यह ज्ञान रखते हुए, कि उनके कृत्य से दिल के मरीज जगदीश की मृत्यु कारित होना संभाव्य है, मृतक जगदीश को धक्का एवं मारपीट कर, उसकी मृत्यु कारित कर, हत्या की कोटि में नहीं आने वाला आपराधिक मानव वध कारित किया एवं अभियुक्तगण ने सामान्य आशय के अग्रसरण में मृतक जगदीश एवं फरियादी नरेश के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहतियां कारित की एवं फरियादी नरेश इटेलिया को एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित करने के आशय से मॉ बहन की अश्लील गालियां दी।

02. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 20.03.2022 को सूचनाकर्ता नरेश इटेलिया ने थाना हजीरा में उपस्थित होकर सूचना दी कि कल दिनांक 19.03.2022 की रात्रि करीब 10:30 बजे उससे उसके मोहल्ले पड़ोस के विनोद कोली, कल्लू कोली, टिल्लू कोली व

उनके एक अन्य साथी ने विवाद कर झगड़ा किया था। उसके बड़े भाई जगदीश इटेलिया उम्र करीब 52 साल घर पर थे जो झगड़े के कारण घबरा गये थे जिन्हें इलाज को बिरला अस्पताल लेकर गये जहां पर डॉक्टरों द्वारा चैक करने पर मृत घोषित कर दिया तब उन्हें लेकर थाने आये थाने से पुलिस के साथ जेएएच अस्पताल ले गये। उसके भाई जगदीश की मृत्यु होने से उनके शव को रात में ही डैड हाउस जेएएच परिसर में रखवा दिया है। उक्त सूचना पर से मर्ग क्रं. 10/22 धारा 174 दं.प्र.सं. कायम कर जांच में लिया गया।

03. उक्त मर्ग जांच के दौरान मृतक जगदीश इटेलिया का पीएम कराया गया, सफीना फार्म एवं शव पंचायतनामा की कार्यवाही की गयी। साक्षीगण के मर्ग जांच कथन लिये गये तो पाया गया कि दिनांक 19.03.2022 की रात्रि 10:00 से 10:15 बजे के बीच मोटरसाइकिल उठाने के विवाद को लेकर पड़ोस में रहने वाले विनोद कोली जो कि शराब के नशे में था वह नरेश इटेलिया को मारने दौड़ा तो नरेश इटेलिया अपने घर की ओर भागा जिसे विनोद कोली ने पत्थर फेंककर मारने का प्रयास किया तथा नरेश इटेलिया से हाथापाई कर मॉ बहन की गंदी गंदी गालियां दी। झगड़े की आवाज सुनकर ज्योति, हेमवती, जगदीश इटेलिया व मनोज आर्य घर के बाहर आये तब मनोज ने नरेश इटेलिया को बचाया। कुछ देर बाद विनोद कोली दोबारा से धर्मेन्द्र कोली, टिल्लू कोली व कालू कोली को लेकर आया और सभी आरोपीगण नरेश को मॉ बहन की गंदी गंदी गालियां देकर झगड़ा करने लगे तब दोबारा से झगड़े की आवाज सुनकर अपने घर के गेट पर खडे जगदीश इटेलिया, ज्योति, हेमवती, मनोज, राजकुमारी बाहर आये और आरोपीण को समझाया कि जगदीश इटेलिया दिल का मरीज है उन्हें झगडा देखकर घबराहट होने लगती है झगडा मत करो लेकिन आरोपीगण नहीं माने और आरोपीगण ने जगदीश इटेलिया के साथ भी धक्का मुक्की कर दी और आरोपी धर्मेन्द्र ने जगदीश को थप्पड़ मारा और धमकी दी जिससे जगदीश इटेलिया घबरा गया और वहीं पर लडखडाकर गिर गया तब जगदीश को बिरला अस्पताल लेकर गये जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित

कर दिया।

04. मर्ग जांच में आरोपीगण का कृत्य धारा 304 भा.दं.सं. की परिधि में आने से आरोपीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्रं. 155/2022 धारा 304, 34 भा.दं.सं. कायम कर अनुसंधान में लिया गया। दौरान विवेचना घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया, साक्षीगण के कथन लिये गये, जप्ती कार्यवाही की गयी, जप्तशुदा माल को परीक्षण हेतु आरएफएसएल भेजा गया, आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया तथा संपूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उपार्पण उपरांत प्रकरण विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

05. इस न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध निर्णय की कण्डिका 01 के अनुसार भादसं. की धारा 304 भाग–2, 323 सहपठित धारा 34 एवं 294 के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियोजन साक्ष्य उपरांत धारा 313 दंप्रसं के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा स्वयं को निर्दोष होना एवं झूंठा फंसाया जाना व्यक्त किया, पूछे जाने पर अभियुक्तगण द्वारा बचाव साक्ष्य देना व्यक्त किया परंतु अभियुक्तगण की ओर से कोई बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी।

06. प्रकरण के निराकरण हेतु मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नानुसार है:–

क्रमांक	विचारणीय प्रश्न
1.	क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 19.03.2022 रात्रि 10:00–10:15 बजे, आरक्षी केन्द्र हजीरा क्षेत्रान्तर्गत इन्द्रानगर, चार शहर का नाका में स्थित मृतक जगदीश के घर के बाहर सामान्य आशय के अग्रसरण में, मामले में आहत नरेश इटेलिया से झगड़े के दौरान यह ज्ञान रखते हुए, कि

	उनके कृत्य से दिल के मरीज जगदीश की मृत्यु कारित होना संभाव्य है, मृतक जगदीश को धक्का एवं मारपीट कर, उसकी मृत्यु कारित कर, हत्या की कोटि में नहीं आने वाला आपराधिक मानव वध कारित किया ?
2.	क्या उक्त घटना दिनांक, समय एवं स्थान पर अभियुक्तगण ने सामान्य आशय के अग्रसरण में मृतक जगदीश एवं फरियादी नरेश के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहतियां कारित की ?
3.	क्या उक्त घटना दिनांक, समय एवं स्थान पर अभियुक्तगण ने फरियादी नरेश इटेलिया को एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित करने के आशय से मॉ बहन की अश्लील गालियां दी।
4.	दोषसिद्धि एवं दण्डादेश ?

: : सकारण निष्कर्ष : :

विचारणीय बिन्दु कमांक 01 एवं 02 पर विवेचना एवं निष्कर्षः—

07. उपरोक्त दोनों विचारणीय बिन्दुओं की साक्ष्य एक—दूसरे में समाहित होने से तथ्यों की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए दोनों विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. अभियोजन की ओर से साक्षी राजकुमारी इटेलिया (अ.सा—01), ज्योति इटेलिया (अ.सा—02), नरेश इटेलिया (अ.सा—03), मनोज आर्य (अ.सा—04), हेमवती (अ.सा—05), डॉ. सार्थक जुगलान (अ.सा—06), राजवीर सिंह (अ.सा—07), नरेन्द्र छिकारा (अ.सा—08), जयसिंह निगम (अ.सा—09) एवं वीरेन्द्र सिंह राजावत (अ.सा—10) की साक्ष्य करायी गयी है।

09. अभियोजन साक्षी राजकुमारी इटेलिया (अ.सा—01) ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि वह हाजिर अदालत आरोपी धर्मेन्द्र, विनोद, हेमन्त उर्फ कालू एवं राजेन्द्र कुमार उर्फ टिल्लू को जानती है। घ

ाटना 19 तारीख 2022 रात के लगभग 10–10:15 बजे चारशहर का नाका इंद्रानगर की है, उस दिन दोज थी, उसका देवर नरेश बाहर गाड़ी लगाने के लिये गया था, तो आरोपी विनोद बाहर बैठा हुआ था तथा उसके साथ और भी मोहल्ले के लोग बैठे थे। विनोद उसके देवर नरेश को गाली देने लगा। नरेश ने बोला कि गालियां किसको दे रहा है इसी बात पर आरोपी विनोद तथा नरेश में लड़ाई हो गयी और दोनों में हाथापायी भी हो गयी थी। आरोपी विनोद खण्डा लेकर आया और उसने नरेश को खण्डा से मारने की कोशिश की। उसकी देवरानी ज्योति और ननद हेमवती बाहर ही खड़ी थी, जिन्होंने उनको लड़ने से रोका और बीच बचाव किया। फिर आरोपी विनोद एवं उसके साथी वहां से चले गये। वहां से जाने के बाद आरोपीगण अपने पूरे परिवार के साथ उनके घर पर ईंट पत्थर लेकर आये और उनके उपर फेंकने लगे। उसकी देवरानी ज्योति के कान में पत्थर लगा, जिससे उसका कान कटकर खून निकल आया था। उसकी ननद हेमवती के सिर में भी पत्थर लगा था, जिससे उनके भी खून निकल आया था। इतने में उसके पति जगदीश घर के अंदर से निकलकर बाहर आ गये। आरोपीगण ने जगदीश के साथ धक्का–मुक्की की, जिससे वह गिर गया और बेहोश हो गया और देखा तो जगदीश खत्म हो गया था। वे लोग जगदीश को हॉस्पीटल लेकर गये थे परंतु जगदीश खत्म हो गया था।

10. उक्त साक्षी राजकुमारी इटेलिया (अ.सा–01) ने प्रतिपरीक्षण में यह सही बताया है कि जो उसका घर व घटनास्थल वाला स्थान है, वह चालू है और वहां लोगों का आना–जाना भी है, इस घटना के पूर्व उसका, उसके पति व उसके परिवार वालों का आरोपीगण से किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं था, उसके पति की तबीयत ठीक थी, उसके द्वारा उसके पति के बीमार होने के संबंध में पुलिस को कोई पर्चे नहीं दिये थे, उसके पति का हार्ट का कोई इलाज उसके द्वारा नहीं कराया गया था, जब नरेश गाड़ी लगाने गया था तब वह घर में भीतर थी, झगड़ा उससे नहीं हुआ था पहले नरेश से हुआ था, झगड़ा उसके सामने नहीं हुआ था, हेमवती व ज्योति झगड़े के समय घर के अंदर थी।

11. साक्षी ज्योति इटेलिया (अ.सा.–02) द्वारा अपने न्यायालयीन कथन में बताया गया है कि आरोपीगण धर्मेन्द्र, विनोद, हेमन्त उर्फ कालू एवं राजेन्द्र उर्फ टिल्लू उसके पड़ौसी हैं। 22 तारीख, तीसरा महीना, 2022 की बात है, फिर कहा कि 19 तारीख की बात है। घटना उसके घर के पास रात्रि लगभग 10–10:30 बजे के बीच की है। उसका देवर नरेश घर के पास खड़ी बाईक उठाने गया था इतने में आरोपी विनोद आया और नरेश व आरोपी विनोद में कुछ बातचीत होने लगी थी, वह उस समय घर के बाहर खड़ी थी। कुछ समय बाद आरोपी विनोद खण्डा लेकर नरेश को मारने के लिये आया और आरोपी विनोद ने खण्डा फेंका, लेकिन नरेश अंदर हो गया और बच गया। फिर आरोपी विनोद के घरवाले, विनोद के पापा, मम्मी राजकुमारी, बहने व भाई टिल्लू, धर्मेन्द्र एवं कालू आये। आरोपी विनोद व नरेश में हाथापायी हो गयी थी, तो विनोद के घरवाले विनोद को समझाने लगे और विनोद को घर ले गये।

12. उक्त साक्षी द्वारा अग्रेतर कथन में यह बताया है कि फिर आरोपीगण धर्मेन्द्र, टिल्लू, कालू एवं सभी लोग दोबार आये और मां–बहन की गंदी–गंदी गालियां देने लगे। उसके जेठ जगदीश, उसकी ननद हेमवती, भईया मनोज ने आकर आरोपीगण को समझाया और आरोपीगण से कहा कि जगदीश दिल के मरीज है, लड़ाई झगड़ा से उन्हें घबराहट होती है, लड़ाई झगड़ा मत करो, लेकिन फिर भी आरोपीगण नहीं माने। आरोपी कालू ने पत्थर मारा जो उसकी ननद हेमवती को लगा जिससे उसके सिर में चोट आयी और खून निकलने लगा था। आरोपी टिल्लू ने पत्थर फेंककर उसे मारा, जिससे उसके कान में चोट आकर खून निकलने लगा था। आरोपीगण ने जगदीश के साथ धक्का–मुक्की की। आरोपी धर्मेन्द्र ने जगदीश में थप्पड़ मारा था, जिससे जगदीश दरवाजे पर ही गिर गया था और वहीं खत्म हो गया था। आरोपीगण विनोद, टिल्लू, धर्मेन्द्र और कालू उन लोगों को जान से मारने की धमकी भी दे गये थे।

13. उक्त साक्षी ज्योति इटेलिया (अ.सा.–02) द्वारा प्रतिपरीक्षण में

बताया है कि इस घटना के संबंध में घटना के दिन ही पुलिस उसे मिली थी, घटना दिनांक को उसके परिवार के सभी लोग हजीरा थाने गये थे, नरेश भी साथ में थाना हजीरा पर घटना दिनांक को ही गया था, घटना के अगले दिन उससे पुलिस के द्वारा पूछताछ कर उसका कथन लेख किया था, उसके घर के आसपास बाबूलाल पचौरिया, राजाबेटी कोली, भूपेन्द्र आर्य, तुलसी राज व अन्य लोग भी निवास करते है, जो कि घटना के समय वहां आ गये थे, घटना के समय उसके घर पर नरेन्द्र शाहिया, दीपक, वीरेन्द्र, चंद्रकांता एवं अन्य कई रिश्तेदार उपस्थित थे। उक्त साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया गया है कि घटना के समय नरेश थाने पर ड्यूटी करता था, हजीरा थाने पर नरेश की जान पहचान है, घटना के समय उसके घर में कार्यक्रम हो रहा था और जितने लोग कार्यक्रम में आये थे, वे सभी वहां मौजूद थे, उसके पड़ौसी भूपेन्द्र आर्य के मकान में कुल 05 लोग रहते है, घटना के समय ये लोग भी घटनास्थल पर उपस्थित थे, इस घटना के पहले आरोपीगण से उसका कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, घटना के समय उसके जेठ जगदीश का कोई इलाज नहीं चल रहा था, घटना के समय वह घर के अंदर थी, घटना के समय उसके यहां जो लोग आये थे और खाना चल रहा था, तब सभी घर के अंदर थे, घटना के समय वह अपने बच्चे को लेने बाहर आयी थी।

14. फरियादी नरेश इटेलिया (अ.सा.–03) द्वारा अपने न्यायालयीन कथन में यह बताया गया है कि आरोपीगण धर्मेन्द्र, विनोद, हेमन्त उर्फ कालू एवं राजेन्द्र कोली उर्फ टिल्लू उसके पड़ौसी हैं। दिनांक 19.03.2022 की रात्रि 10–10:15 बजे की बात है वह अपने घर से पड़ौस में गली में रखी मोटरसायकल उठाने के लिये गया था तो आरोपी विनोद शराब के नशे में गालियां दे रहा था, उसने विनोद को समझाया तो विनोद उसके साथ बदत्तमीजी और हाथापायी करने लगा और कहने लगा कि वह उसकी बर्दी उतरवा देगा। वह वापस घर की तरफ आया तभी पीछे से आरोपी विनोद खण्डा लेकर आया और फेंककर उसे मारा लेकिन वह बाल–बाल बच गया। फिर विनोद उसके साथ हाथापायी व गुथमगुंथी करने लगा, आवाज सुनकर

आसपास के लोग एवं उसका साला मनोज आ गये, मनोज विनोद को समझाकर ले गया। उसके बाद दोबारा आरोपी विनोद, धर्मेन्द्र, टिल्लू, कालू, उसकी मां व पिता आ गये और कालू ने पत्थर उठाकर मारा जो उसकी भाभी ज्योति के कान में लगा, उसके बाद टिल्लू ने पत्थर मारा जो उसकी बहन हेमवती के सिर में लगा, जिससे उन्हें चोटें आयी।

15. उक्त साक्षी ने अग्रेतर कथन में बताया है कि उक्त झगडा सुनकर उसके बड़े भाई जगदीश समझाने आ गये तो उनके साथ भी आरोपीगण धर्मेन्द्र, विनोद, टिल्लू व कालू ने बदत्तमीजी व धक्का–मुक्की की। धक्का देने से उसका भाई जगदीश चक्कर खाकर दरवाजे पर गिर गया और वहीं पर जगदीश की मृत्यु हो गयी। वह लोग अपने भाई जगदीश को बिरला अस्पताल लेकर गये, वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उसके बाद वह हजीरा थाना गया, वहां उसने घटना के बारे में बताया, पुलिस ने घटना की मर्ग सूचना दर्ज की थी, जो प्रपी–01 है। पुलिस ने सफीना फार्म प्रपी–02, नक्शा पंचायतनामा प्रपी–03 तैयार किये थे। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा प्रपी–04 उसके सामने तैयार किया था। उसके घर के बगल में बाबूलाल पचौरिया के यहां सीसीटीव्ही कैमरा लगा हुआ है, जिसकी फुटेज उसने डीवीडी में करके उक्त डीवीडी पुलिस को दी थी, पुलिस ने डीवीडी जब्त कर जब्ती पंचनामा प्रपी–05 उसके सामने तैयार किया था, पुलिस ने उक्त डीवीडी उसके समक्ष चलाकर देखी थी और उसका अवलोकन पंचनामा प्रपी–06 उसके समक्ष तैयार किया था। शव परीक्षण उपरांत पुलिस ने उसके भाई जगदीश का शव उसे सौंपकर सुपुर्दगी रसीद प्रपी–07 तैयार की थी।

16. उक्त साक्षी नरेश इटेलिया (अ.सा.–03) द्वारा प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया गया है कि जेएएच अस्पताल के शव गृह के पास भी एक पुलिस चौकी बनी है, उसने उक्त पुलिस चौकी पर भी कोई लिखित आवेदन नहीं दिया था। उक्त साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षण में यह बताया गया है कि घटना के संबंध में वह दोबारा घटना के दूसरे दिन सुबह करीब

09–09:30 बजे थाना हजीरा गया था और एफआईआर लिखवायी थी। साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि इसी घटना के संबंध में उसकी भाभी ज्योति ने भी एफआईआर लिखायी थी वह प्रकरण वर्तमान में लंबित है, उसके द्वारा सीसीटीवी फुटेज की कोई डीवीडी तैयार नही की गई, प्रपी–05 के जप्ती पत्रक पर पुलिस ने हस्ताक्षर करने के लिए कहा था तो उसने हस्ताक्षर कर दिये थे, उसने प्रपी–06 के दस्तावेज पर पढ कर हस्ताक्षर किये थे, उसने प्रपी–06 के पंचनामे के संबंध में ऐसी कोई आपत्ति नहीं की कि पंचनामें में कोई तथ्य गलत लेख है, डीवीडी अवलोकन पंचनामें के दौरान डीवीडी में आरोपीगण द्वारा जगदीश की मारपीट किये जाते हुये या धक्कामुक्की किये जाते हुये कोई रिकॉर्डिंग नही दिखी है, उसके समक्ष पुलिस द्वारा कभी भी कोई डीवीडी चलवाकर नहीं दिखाई गयी थी, घ टना दिनांक को घर पर नरेन्द्र सांइयां, दीपक, वीरेन्द्र, चंद्रकांता तथा अन्य रिश्तेदार भी दौज होने के कारण खाने पर आये थे। उक्त साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उसने अपने बड़े भाई जगदीश का हार्ट के संबंध में कोई इलाज घटना के पहले नहीं कराया है।

17. साक्षी मनोज आर्य (अ.सा.–04) ने घटना के संबंध में फरियादी नरेश इटेलिया अ.सा.3 के समानतः कथन करते हुए अपने न्यायालयीन कथन में यह बताया है कि मारापीटी से जगदीश नीचे गिर गिर गया था तो जगदीश को उठाकर घर के अंदर ले गये और गेट बंद कर लिये थे, क्योंकि आरोपीगण पत्थर मार रहे थे। वे लोग जगदीश को हॉस्पीटल लेकर गये, जहां डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया था। सफीना फार्म प्रपी–02, लाश नक्शा पंचनामा प्रपी–03 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने एक डीवीडी आर का अवलोकन पंचनामा प्रपी–06, डीवीडी जब्ती पंचनामा प्रपी–05 उसके समक्ष बनाये थे।

18. साक्षी हेमवती (अ.सा.–05) ने अपने न्यायालयीन कथन में यह बताया है कि वह आरोपीगण धर्मेन्द्र, विनोद, हेमंत, राजेन्द्र को जानती है। घ टना दिनांक 19.03.2022 को वह अपने मायके इंद्रानगर चार शहर का नाका

ग्वालियर में आयी थी, रात के 10 बजे उसका भाई नरेश बाईक उठाने के लिये घर से बाहर आया था तभी आरोपीगण विनोद, धर्मेन्द्र, कालू, टिल्लू घर के बाहर बैठकर शराब पी रहे थे और नरेश को गाली गलौच दे रहे थे। उसी समय नरेश की आरोपीगण से बहस होने लगी फिर नरेश अपने घर की तरफ आया तभी आरोपी विनोद फरियादी नरेश के उपर खंडा उठाकर मारने के लिये आया। झगड़े की आवाज सुनकर उसकी भाभी ज्योति आई और उक्त सभी लोग झगडा करने लगे फिर इसके बाद उसकी भाभी राधा का भाई मनोज आया जिसने बीच बचाव किया और आरोपीगण वहां से चले गये। उसी समय आरोपीगण फिर वापस आ गये उसने आरोपीगण से बोला कि उसके भाई जगदीश की तबीयत ठीक नहीं है झगडा मत करो लेकिन आरोपीगण नहीं माने और गाली गलौच एवं हाथापाई करने लगे। आरोपी कालू ने उसकी भाभी ज्योति को पत्थर मारा था जिससे कान के पीछे चोट आई थी फिर दूसरा पत्थर आरोपी टिल्लू ने मारा जो उसे सिर में लगा। उसके भाई जगदीश के साथ भी आरोपीगण ने धक्का मुक्की की। आरोपी धर्मेन्द्र ने जगदीश को थप्पड़ा मारा था तो जगदीश को चक्कर आने लगे और वह बेहोश हो गया फिर वह नहीं उठा। जगदीश को बिरला हास्पिटल ले गये वहां पर जगदीश को मृत घोषित कर दिया।

19. डॉ. सार्थक जुगलान (अ.सा.6) ने न्यायालयीन कथन में बताया है कि दिनांक 20.03.2022 को पुलिस थाना हजीरा जिला ग्वालियर के पुलिस आरक्षक क्रमांक 2313 समरथ सिंह द्वारा मृतक जगदीश प्रसाद इटेलिया पुत्र घनश्यामदास इटेलिया उम्र 54 वर्ष के शव परीक्षण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। तत्पश्चात संबंधित आरक्षक तथा मृतक के भाई नरेश कुमार इटेलिया द्वारा शव की पहचान कराई गई थी। शव परीक्षण किये जाने हेतु दो सदस्यीय चिकित्सक पैनल का गठन किया गया था जिसमें उसके अन्यत्र उसके सहयोगी चिकित्सक डॉ. जयप्रकाश सोनी शामिल थे। बाह्य परीक्षण में पाया गया था कि मृतक सामान्य कद, काठी का व्यक्ति था जो शव परीक्षण टेबल पर चित अवस्था में रखा था। मृतक के शरीर पर तीन चौथाई कपड़ा एवं अंडरवियर मौजूद था। मृतक की गर्दन

तथा कमर पर धागा मौजूद था। मृतक की आंखे बंद थी, पुतलियां फैली हुई थी तथा मुंह बंद था। मृत्यु उपरांत की अकड़न शरीर पर विद्यमान थी तथा मृत्यु उपरांत की लालिमा शरीर के पिछले भाग पर मौजूद थी।

20. साक्षी ने अग्रेतर कथन में बताया है कि मृत्यु पूर्व की चोट– मृतक के कपाल का विच्छेदन करने पर दो लाल रंग की मूंदी हुई चोटें मौजूद थी जिनका आकार 3 गुणा 2 एवं 2 गुणा 1 से.मी. था। उक्त चोटें सिर पर बांयी तरफ मौजूद थी तथा कपाल की लेयर्स कंट्यूज्ड थी। इस स्थान पर सिर की हड्डी तथा मस्तिष्क की झिल्ली सुरक्षित थी। आंतरिक परीक्षण में पाया था कि मृतक का मस्तिष्क कंजस्टेड था। मृतक के हृदय की धमनियों का मुंह खुला था तथा कैल्सिफाईड था। हृदय की ज्यादातर मुख्य धमनियां कैल्सिफाईड थी तथा महसूस करने पर सामान्य से अधिक सख्त थी। मृतक की दांयी धमनी पूर्ण रूप से बंद थी तथा कैल्सिफाईड थी। मृतक की बांयी धमनी में प्लाक मौजूद था तथा मध्य एक तिहाई भाग में क्रिटिकल संकुचन मौजूद था। एक अन्य दांयी धमनी में भी प्लाक मौजूद था तथा पूरी तरह से अवरोधित थी। मुख्य धमनी का शुरूआती हिस्सा सामान्य से अधिक संकुचित था। उक्त धमनियों का टिशू हिस्टोपैथोलॉजी जांच हेतु भी सुरक्षित किया गया था। हृदय के सभी बाल्व सामान्य थे। हृदय में कई जगह उसकी झिल्ली में पैरिकाराडाईटिस मौजूद थी। मृतक के पेट में लगभग 10 सीसी पेस्ट्री जैसा पदार्थ मौजूद था। मृतक का लीवर एवं स्पलीन आसपास के उतकों से चिपका था तथा उसकी छोटी आंत में अल्प मात्रा में डाईजेस्टिक पदार्थ तथा बडी आंत में मल पदार्थ था।

21. उक्त साक्षी द्वारा अग्रेतर कथन में यह बताया गया है कि मृतक के कपाल पर आई चोट किसी सख्त एवं भौथरी सतह अथवा फोर्स के कारण थी। मृतक के कपडे, मृतक का पेट एवं आंत नमक के घोल में रासायनिक परीक्षण हेतु, आंतरिक उतक, लीवर स्पिलीन एवं किडनी के टुकडे नमक के घोल में रासायनिक परीक्षण हेतु, नमक के घोल का नमूना, मस्तिष्क, फेफडे, लीवर, स्पिलीन एवं किडनी तथा संपूर्ण हार्ट हिस्टोलॉजी

जांच हेतु, हृदय की धमनियों के टुकडे हिस्टोलॉजी जांच हेतु, एक मेमोरी कार्ड जिसमें शव परीक्षण की वीडियोग्राफी रिकार्ड कराई गई थी तथा दो सील नमूने सुरक्षित कर सीलबंद किये जाकर संबंधित आरक्षक को सौंप दिये गये थे। अभिमत–शव परीक्षण के उपरांत पैनल द्वारा अपने मत में लेख किया गया था कि मृत्यु के संबंध में उसका कारण विभिन्न जांचों के उपरांत किया जायेगा किंतु शव परीक्षण में पाये गये साक्ष्यों के आधार पर मृतक को हृदय की धमनी संबंधी विकृति होना पाया गया था। मृतक के कपाल पर चोट मृत्यु पूर्व की थी। मृतक की मृत्यु की अवधि शव परीक्षण किये जाने के 8 से 24 घंटे के भीतर की थी। पैनल द्वारा तैयार की गई शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी–7ए है।

22. डॉ. सार्थक जुगलान (अ.सा.6) ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने मृतक के शरीर पर जो चोट पाई थी वह साधारण प्रकृति की थी, उसके द्वारा जो अभिमत दिया गया था उसकी पुष्टि हेतु कैमिकल एनलिसिस रिपोर्ट एवं एच.पी.ई. रिपोर्ट से मेल हेतु लेख किया गया था, पुलिस के द्वारा उसे प्रकरण से संबंधित कैमिकल एनालिसिस की रिपोर्ट एवं एच.पी.ई. की रिपोर्ट अभिमत की पुष्टि के संबंध में नहीं दिखाई गई थी, उसके द्वारा मृतक के जो चोट पाई थी वह यदि जमीन पर गिर जाये तो आना संभव है, उसके द्वारा मृतक का पी.एम. करते समय यदि यह पाता कि उसकी मृत्यु की प्रकृति होमोसाईडल है तो इस संबंध में अपनी रिपोर्ट में निश्चित रूप से उल्लेख करता।

23. प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र सिंह राजावत (अ.सा.–10) ने न्यायालयीन कथन में बताया है कि दिनांक 20.03.2022 को पुलिस थाना हजीरा में सूचनाकर्ता नरेश इटेलिया ने उपस्थित होकर घटना के संबंध में सूचना दी थी जिस पर से उसके द्वारा मर्ग क्रं. 10/22 धारा 174 जा.फौ. लेखबद्ध करायी गयी थी जो प्र.पी.11 है। उक्त मर्ग क्रं. 10/22 में उक्त दिनांक 20.03.2022 को ही आरक्षक समरत सिंह द्वारा डेड हाउस जेएएच ग्वालियर से थाने पर आकर मृतक जगदीश प्रसाद इटेलिया का विसरा

जिसमें एक सीलबंद कपडे की पोटली, दो सीलबंद डिब्बों में विसरा, एक सीलबंद नमक का पैकेट, एक सीलबंद डिब्बा जिस पर पिसेस ऑफ ब्रेन, लंग्स, लीवर आदि लेख था, एक सीलबंद डिब्बा जिसमें पिसेस ऑफ कोरोनरी आर्टरी आदि लेख था, दो जेएएच के सीलनमूना तथा एक सीलबंद एसडी कार्ड उसे जप्त कराया था जिसका जप्ती पत्रक प्र.पी.20 है।

24. उक्त साक्षी वीरेन्द्र सिंह राजावत (अ.सा.–10) ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि नरेश के द्वारा प्र.पी.1 की मर्ग लेख कराते समय यह बताया था कि मृतक जगदीश झगडे के समय अपने घर पर ही थे, साक्षी नरेश के द्वारा मर्ग लेख कराते समय जगदीश के साथ किसी प्रकार की कोई घटना की गयी हो यह लेख नहीं कराया था। यह भी स्वीकार किया है कि अपराध क्रं. 121/22 की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.डी.2 उसके द्वारा लेख की गयी थी, उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट वर्तमान प्रकरण की घटना के संबंध में ही लेख की गयी थी, उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में मृतक जगदीश के साथ कोई घटना किये जाने का उल्लेख नहीं कराया था, जब उसके द्वारा प्र.डी.2 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गयी थी तब ज्योति, हेमवती एवं नरेश थाने पर उपस्थित थे, उक्त साक्षियों के द्वारा मृतक जगदीश के साथ कोई भी घटना किया जाना नहीं बताया था, प्र.डी.2 में धर्मेन्द्र कोली के द्वारा कोई भी घटना किया जाना नहीं बताया गया था।

25. सहायक उपनिरीक्षक जय सिंह निगम (अ.सा.–09) ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि दिनांक 27.03.2022 को मर्ग क्रमांक 10/2022 में सूचनाकर्ता नरेश कुमार इटेलिया द्वारा पुलिस थाना हजीरा में आकर एक डीवीडी (आर्टिकल ए–1) उसे जब्त कराई थी जिसका जब्ती पत्रक प्रपी–05 उसके द्वारा तैयार किया गया था। उक्त डीवीडी के संबंध में धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र रिचा स्टूडियो चार शहर के नाका के अरूण साहू द्वारा दिया गया था जो प्रपी–19 है।

26. उक्त साक्षी द्वारा अग्रेतर कथन में बताया है कि उक्त दिनांक को ही थाने के कम्प्यूटर कक्ष में सूचनाकर्ता नरेश कुमार इटेलिया की

उपस्थिति में तथा दो अन्य साक्षीगण की उपस्थिति में डीवीडी (आर्टिकल ए–1) का अवलोकन किया गया था। उक्त डीवीडी में दिनांक 19.03.2022 के 22:00 से 22:52 बजे तक के फुटेज मौजूद हैं जो अपराध के समय के आसपास की है। डीवीडी में मृतक जगदीश प्रसाद इटेलिया अपने मकान की मेनरोड पर धर्मेन्द्र जगरिया के मकान की तरफ 22:14:40 पर घटना स्थल की तरफ अपनी बहन हेमवती व अपने भाई हरीरामल की पत्नी ज्योति के साथ जाते हुये सूचनाकर्ता नरेश के बताये अनुसार पाया गया। उसके बाद 22:15:14 बजे अपने घर की तरफ कुछ लोगों के साथ आने की फुटेज दिखाई दे रही है तथा 22:34:38 बजे पुनः जगदीश प्रसाद को कुछ लोग घर से हाथों पर लेकर रोड पर ले जाते हुये दिखाई दे रहे हैं तथा अपराध की फुटेज भी अस्पष्ट रूप से दिख रही है। डीवीडी का अवलोकन करने के बाद उसके द्वारा पंचनामा प्रपी–06 तैयार किया गया था।

27. सहायक उपनिरीक्षक जय सिंह निगम (अ.सा.–09) ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि जांच के दौरान जो भी कार्यवाही की जाती है उसका इन्द्राज रोजनामचे में किया जाता है, थाने से जब भी किसी जांच हेतु रवाना होते हैं तो उसका इन्द्राज रोजनामचे में रवानगी के रूप में किया जाता है तथा वापस आने पर विवरण के साथ वापसी के रूप में लेख करते हैं, प्रपी–5 की जब्ती कार्यवाही के समय उसके द्वारा थाना हजीरा के आसपास के किसी व्यक्ति को साक्षी बनने हेतु आहुत नहीं किया था, उसके द्वारा डीवीडी में जो फुटेज पाये थे वह स्पष्ट नहीं थे। यह भी स्वीकार किया है कि प्रपी–6 के डीवीडी अवलोकन पंचनामा में बी से बी भाग पर यह लेख है कि जगदीश प्रसाद के साथ झगडे व मारपीट की फुटेज डीवीडी में अवलोकन से नहीं पाई गई है।

28. उपनिरीक्षक नरेन्द्र छिकारा (अ.सा.8) ने अपने न्यायालयीन कथन में यह बताया है कि दिनांक 02.04.2022 को अपराध क्रमांक 155/2022 की केसडायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा घटना स्थल पर जाकर नरेश इटेलिया की निशादेही पर घटना स्थल का

नक्शामौका प्र.पी.4 बनाया था, आरोपी धर्मेन्द्र कोली को इंद्रा नगर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रपी–10 तैयार किया गया था, दिनांक 04.04.2022 को साक्षी श्रीमती ज्योति इटेलिया, नरेश इटेलिया, मनोज आर्य, श्रीमती हेमवती वर्मा एवं दिनांक 08.04.2022 को प्रेमवती कोली, राजकुमारी इटेलिया एवं मीरा कोली के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे, दिनांक 05.05.2022 को आरोपीगण विनोद कोली, हेमंत कुमार उर्फ कालू एवं राजेन्द्र कुमार उर्फ टिल्लू को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक क्रमशः प्रपी–11, 12, 13 तैयार किये थे। मर्ग क्रं. 10/22 धारा 174 दं.प्र.सं. के प्रकरण में जप्तशुदा माल का परीक्षण हेतु अधीक्षक पैथोलोजिकल विभाग गजराराजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में पुलिस अधीक्षक जिला ग्वालियर के ड्राफ्ट दिनांक 25.03.2022 के माध्यम से पहुंचाया गया था जो प्रपी–14 है जिसकी जमा रसीद प्रपी–15 है एवं संयुक्त निदेशक क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला ग्वालियर को पुलिस अधीक्षक जिला ग्वालियर के ड्राफ्ट दिनांक 25.03.2022 के माध्यम से पहुंचाया गया था जो प्रपी–16 है जिसकी जमा रसीद प्रपी–17 है। क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला ग्वालियर से परीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 20.05.2024 को प्राप्त हुआ था जो प्रपी–18 है।

29. प्रस्तुत प्रकरण में साक्षियों के कथन व अभिलेख की विवेचना में फरियादीगण के विरुद्ध प्रयोग किये गए शब्द अश्लील गालियां दिया जाने संबंधी कोई साक्ष्य प्रकरण में नहीं है कि आरोपीगण द्वारा लोक स्थान में अश्लील शब्द बोलकर, उच्चारित कर गालियां दी जो दूसरे सुनने वालों को क्षोभ कारित करने वाली थी और ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं जिससे उक्त शब्द फरियादीगण को भी बुरे लगे अभियोजन द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है।

30. In Omprakash Vs state of M.P. reported - 1989 MPLJ 657; It has been held that no literal significance can be attached to the abuses. The test of obscenity is whether the tendency of the matter charged as abscene is to deprave and corrupt those whose

minds are open to such immoral influence. Mere platitudinous utterances signifying the enraged state of the person's is mind would not be sufficient to attract the application of the provisions of Section 294 of the IPC. Thus mere " vulgar abuses" do not constitute offence under Section 294 of the IPC in colloquial language, the abuses like "Maharchod, Bahanchod" are often used and nobody understands such abuses in their literal sense. They only show the enraged state of mind. अवलंबनीय है। उपरोक्त विवेचना व न्यायदृष्टांत के आलोक में आरोपीगण के विरुद्ध धारा 294 भादवि का अपराध प्रमाणित नहीं होने से आरोपीगण धर्मेन्द्र, विनोद, हेमंत उर्फ कालू एवं राजेन्द्र उर्फ टिल्लू को धारा 294 भादवि के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

31. साक्षी राजकुमारी इटेलिया (अ.सा–01) ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि आरोपीगण अपने पूरे परिवार के साथ उनके घर पर ईंट पत्थर लेकर आये और उनके उपर फेंकने लगे। उसकी देवरानी ज्योति के कान में पत्थर लगा, जिससे उसका कान कटकर खून निकल आया था। उसकी ननद हेमवती के सिर में भी पत्थर लगा था, जिससे उनके भी खून निकल आया था। इतने में उसके पति जगदीश घर के अंदर से निकलकर बाहर आ गये। आरोपीगण ने जगदीश के साथ धक्का–मुक्की की, जिससे वह गिर गया और बेहोश हो गया और देखा तो जगदीश खत्म हो गया था।

32. साक्षी ज्योति इटेलिया (अ.सा.–02) द्वारा अपने न्यायालयीन कथन में बताया गया है कि आरोपी विनोद खण्डा लेकर नरेश को मारने के लिये आया और आरोपी विनोद ने खण्डा फेंका। आरोपी कालू ने पत्थर मारा जो उसकी ननद हेमवती को लगा जिससे उसके सिर में चोट आयी और खून निकलने लगा था। आरोपी टिल्लू ने पत्थर फेंककर उसे मारा, जिससे उसके कान में चोट आकर खून निकलने लगा था। आरोपीगण ने जगदीश के साथ धक्का–मुक्की की। आरोपी धर्मेन्द्र ने जगदीश में थप्पड़ मारा था,

जिससे जगदीश दरवाजे पर ही गिर गया था और वहीं खत्म हो गया था।

33. फरियादी नरेश इटेलिया (अ.सा.–03) द्वारा अपने न्यायालयीन कथन में यह बताया गया है कि आरोपी विनोद खण्डा लेकर आया और फेंककर उसे मारा लेकिन वह बाल–बाल बच गया, फिर विनोद उसके साथ हाथापायी व गुथमगुंथी करने लगा, आवाज सुनकर आसपास के लोग एवं उसका साला मनोज आ गये, मनोज विनोद को समझाकर ले गया। उसके बाद दोबारा आरोपी विनोद, धर्मेन्द्र, टिल्लू, कालू, उसकी मां व पिता आ गये और कालू ने पत्थर उठाकर मारा जो उसकी भाभी ज्योति के कान में लगा, उसके बाद टिल्लू ने पत्थर मारा जो उसकी बहन हेमवती के सिर में लगा, जिससे उन्हें चोटें आयी।

34. साक्षी हेमवती (अ.सा.–05) ने अपने न्यायालयीन कथन में यह बताया है कि आरोपी कालू ने उसकी भाभी ज्योति को पत्थर मारा था जिससे कान के पीछे चोट आई थी फिर दूसरा पत्थर आरोपी टिल्लू ने मारा जो उसे सिर में लगा। उसके भाई जगदीश के साथ भी आरोपीगण ने धक्का मुक्की की। आरोपी धर्मेन्द्र ने जगदीश को थप्पड़ा मारा था तो जगदीश को चक्कर आने लगे और वह बेहोश हो गया फिर वह नहीं उठा।

35. सहायक उपनिरीक्षक राजवीर सिंह (अ.सा.7) ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि दिनांक 31.03.2022 को उसे मर्ग क्रं. 10/22 जांच हेतु प्राप्त हुयी थी, उसके द्वारा साक्षी नरेश इटेलिया, मनोज आर्य, ज्योति इटेलिया, हेमवती वर्मा के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे, मर्ग जांच उपरांत दिनांक 01.04.2022 को अपराध कायम करने के संबंध में थाना प्रभारी को रिपोर्ट प्रदर्श पी–8 पेश की थी। उक्त दिनांक को ही प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–9 लेखबद्ध की गयी थी।

36. प्रकरण में अभिलेख पर अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण राजकुमारी इटेलिया (अ.सा–01), ज्योति इटेलिया (अ.सा.–02), नरेश इटेलिया (अ.सा.–03) एवं हेमवती (अ.सा.–05) के द्वारा बताया गया है कि

आरोपीगण द्वारा सामान्य आशय में झगड़ा कर मारपीट की गयी जिससे साक्षी हेमवती के सिर में चोट आयी और ज्योति के कान के पीछे चोट आना बताया गया है। उक्त साक्षी आहत और चक्षुदर्शी साक्षी है। उनके प्रतिपरीक्षण में इसके प्रतिकूल ऐसा कोई भी तथ्य नहीं आया है जिससे उनकी साक्ष्य पर अविश्वास किया जाना दर्शित हो।

37. अभिलेख के अवलोकन से दर्शित है कि फरियादी नरेश को घ टना में चोट आने के संबंध में अभिलेख पर कोई साक्ष्य दर्शित नहीं है और न ही फरियादी नरेश का कोई चिकित्सीय परीक्षण कराया गया है, इसलिए फरियादी नरेश एवं अन्य किसी आहत को उपहति कारित होने के तथ्य को प्रमाणित करने के लिये कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। अतः अभिलेख पर आयी साक्ष्य और प्रकरण की विवेचना से आरोपीगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी नरेश को उपहति कारित किया जाना प्रमाणित नहीं पाया जाता है। अतः उपरोक्त साक्ष्य विवेचना से आरोपीगण धर्मेन्द्र, विनोद, हेमंत उर्फ कालू एवं राजेन्द्र उर्फ टिल्लू के विरुद्ध धारा 323/34 भादवि का अपराध प्रमाणित नहीं होने से आरोपीगण धर्मेन्द्र, विनोद, हेमंत उर्फ कालू एवं राजेन्द्र उर्फ टिल्लू को धारा 323/34 भादवि के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

38. बचाव पक्ष का यह तर्क है कि प्रकरण में प्रस्तुत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.डी.–2 में झगड़े में मृतक जगदीश की मृत्यु होना नहीं बताया गया है। इस संबंध में अभिलेख पर आयी साक्ष्य की विवेचना के अनुक्रम में अवलोकन करें तो उक्त दस्तावेज प्र.डी.–2 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उसमें घटना से मृतक जगदीश की तबीयत खराब होने से अस्पताल ले जाना बताया गया है। अतः उक्त तर्क का आरोपी को लाभ प्राप्त नहीं होता है।

39. प्रकरण में उपरोक्तानुसार अभिलेख पर आयी साक्ष्य की विवेचना से अभियोजन साक्षी ज्योति इटेलिया अ.सा.2 द्वारा बताया गया है कि आरोपी धर्मेन्द्र द्वारा मृतक जगदीश को थप्पड़ मारा गया था जिससे उन्हें

चक्कर आ गये थे और वह जमीन पर गिर गये थे और वहीं खत्म हो गये थे। प्रकरण में उक्त साक्षी चक्षुदर्शी साक्षी हैं और उक्त तथ्य के संबंध में प्रतिपरीक्षण में भी ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिससे उक्त साक्षी के कथन पर संदेह उत्पन्न होता हो। अतः यह प्रमाणित पाया जाता है कि आरोपी धर्मेन्द्र द्वारा मृतक जगदीश को थप्पड़ मारा था जिससे उन्हें चक्कर आ गये थे और वह जमीन पर गिर गये थे जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गयी। उक्त तथ्य की पुष्टि अभियोजन साक्षी डॉ. सार्थक जुगलान अ.सा.6 की साक्ष्य से होती है जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि उसके द्वारा मृतक जगदीश का पोस्टमार्टम किया गया था तब उसके कपाल में दो मूंदी चोट पायी गयी थीं। प्रतिपरीक्षण में डॉ. सार्थक जुगलान अ.सा. 6 द्वारा सुझाव दिये जाने पर बताया गया है कि मृतक को जो चोटें पायी गयी थी यदि वह जमीन पर गिर जाये तो आना संभव है। उपरोक्तानुसार इस तथ्य की पुष्टि युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित पाया जाता है कि आरोपी धर्मेन्द्र द्वारा थप्पड़ मारने से मृतक जगदीश को चक्कर आ गये थे जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हुयी।

40. भारतीय दण्ड संहिता—1860 की धारा 304 के प्रावधान अनुसार ''जो कोई ऐसा आपराधिक मानव वध करेगा, जो हत्या की कोटि में नहीं आता है, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति, जिससे मृत्यु होना संभाव्य है, कारित करने के आशय से किया जाए, तो वह (आजीवन कारावास) से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाए और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

> अथवा, यदि वह कार्य इस ज्ञान के साथ कि उससे मृत्यु कारित करना संभाव्य है, किंतु मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति, जिससे मृत्यु कारित करना संभाव्य है, कारित करने के किसी आशय के बिना किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या

दोनों से, दण्डित किया जाएगा'' ।

41. अभिलेख पर आई साक्ष्य से अभियुक्त धर्मेन्द्र का कार्य जिसमें आरोपी धर्मेन्द्र ने झगड़े के दौरान जगदीश को थप्पड़ा मारा था जिससे जगदीश को चक्कर आने से वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गयी। उक्त से अभियुक्त धर्मेन्द्र का कार्य मृतक जगदीश की मृत्यु कारित करने के आशय का होना प्रमाणित नहीं है। वह कार्य इस ज्ञान के साथ कि उससे मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति, जिससे मृत्यु कारित करना संभाव्य है, आशय के बिना किया जाना प्रमाणित है, जिससे भा.द.सं. की धारा 304 के भाग–2 के तत्व विद्यमान प्रमाणित पाये जाते है।

42. उपरोक्तानुसार हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त धर्मेन्द्र के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 304 के भाग–2 के तत्व प्रमाणित पाये जाने से इस प्रावधान के अनुसार अभियुक्त धर्मेन्द्र का अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 के भाग–2 के अंतर्गत प्रमाणित पाये जाने से दोषसिद्ध किया जाता है। शेष अभियुक्तगण विनोद, हेमंत उर्फ कालू एवं राजेन्द्र उर्फ टिल्लू को धारा 304 भाग–2 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

—:विचारीणय बिन्दु कमांक 04 का निष्कर्ष:—

43. उपरोक्त विवेचना एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य से अभियुक्त धर्मेन्द्र द्वारा दिनांक 19.03.2022 रात्रि 10:00—10:15 बजे, आरक्षी केन्द्र हजीरा क्षेत्रान्तर्गत इन्द्रानगर, चार शहर का नाका में स्थित मृतक जगदीश के घर के बाहर सामान्य आशय के अग्रसरण में, मामले में आहत नरेश इटेलिया से झगड़े के दौरान यह ज्ञान रखते हुए, कि उनके कृत्य से दिल के मरीज जगदीश की मृत्यु कारित होना संभाव्य है, मृतक जगदीश को धक्का एवं मारपीट कर, उसकी मृत्यु कारित कर, हत्या की कोटि में नहीं आने वाला आपराधिक मानव वध कारित किया जाना प्रमाणित पाये जाने से अभियुक्त धर्मेन्द्र को धारा 304 भाग–2 भा.द.वि. का आरोप प्रमाणित पाये जाने से दोषसिद्ध किया जाता है।

44. हस्तगत प्रकरण इस भांति का नहीं है जिसमें अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जा सके। अतः दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय स्थगित किया गया।

(आत्माराम टांक)
नवम् अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
ग्वालियर (म0प्र0)

पुनश्चः

—–दण्डादेश—–

45. दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त के अधिवक्ता को सुना गया, उनके द्वारा निवेदन किया गया कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है उसे कम से कम दण्ड से दण्डित किया जावे।

46. अभियोजन द्वारा निवेदन किया गया कि अभियुक्त द्वारा मृतक जगदीश के साथ मारपीट की गयी थी जिससे मृतक जगदीश की मृत्यु कारित हुयी उक्त अपराध गंभीर प्रकृति का है इसलिए कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया।

47. अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभियुक्त की सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि को दृष्टिगत रखते हुए– अभियुक्त धर्मेन्द्र को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 भाग–2 के अंतर्गत अपराध प्रमाणित पाये जाने से 5 वर्ष और 5,000/–(पांच हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में 3 माह का कठोर कारावास पृथक से भुगताया जावे।

48. अभियुक्त धर्मेन्द्र के पूर्व के जमानत एवं बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं। शेष अभियुक्तगण के जमानत व बंधपत्र उन्मोचित किये जाते है तथा उन्हें धारा 437–ए द.प्र.सं. की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाता है।

49. धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभियुक्तगण द्वारा बितायी गई न्यायिक अभिरक्षा की अवधि के संबंध में प्रमाण पत्र बनाया जावे। अभियुक्त धर्मेन्द्र द्वारा पूर्व में अभिरक्षा में व्यतीत की गयी अवधि धारा 428 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत उसकी मूल सजा की अवधि में समायोजित की जावे।

50. अभियुक्त धर्मेन्द्र का सजा वारंट तैयार कर सजा भुगताये जाने हेतु केन्द्रीय जेल ग्वालियर भेजा जावे।

51. प्रकरण में जप्तशुदा डी.व्ही.डी. आर्टिकल ए–1 अपील न होने की स्थिति में विधिवत निराकृत किया जाए एवं जप्तशुदा डी.व्ही.डी. आर्टिकल ए–1 इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल होने से अपील होने तक सुरक्षित रखी जाये एवं अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जाए।

52. प्रकरण में जप्तशुदा मृतक के कपड़ो की सीलबंद पोटली एवं बिसरा आदि मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में नष्ट किये जावे। अपील होने पर उक्त सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जावे।

53. अभियुक्तगण को निर्णय की एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जावे।

54. निर्णय की एक प्रति जिला दण्डाधिकारी, जिला ग्वालियर को प्रेषित की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित
किया गया।

(आत्माराम टांक)
नवम् अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
ग्वालियर (म0प्र0)

(आत्माराम टांक)
नवम् अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
ग्वालियर (म0प्र0)

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दंडादेश	अधिरोपित दंडादेश	धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1.	धर्मेन्द्र	दिनांक 02.04.2022	दिनांक 30.04.2022	भादसं. की धारा 304 भाग–2, 323/34, 294	धारा 304 भाग–2 में दोषसिद्ध शेष धाराओं में दोषमुक्त	धारा 304 भाग–2 के आरोप में पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं पांच हजार रूपये अर्थदंड एवं व्यतिक्रम में 03 माह का कठोर कारावास	दिनांक 03.04.2022 से 30.04.2022 तक
2.	विनोद	दिनांक 05.05.2022	दिनांक 12.05.2022	भादसं. की धारा 304 भाग–2, 323/34, 294	दोषमुक्त	निरंक	दिनांक 05.05.2022 से 12.05.2022 तक
3.	हेमंत	दिनांक	दिनांक	भादसं. की	दोषमुक्त	निरंक	दिनांक 05.05.2022

	उर्फ कालू	05.05.2022	12.05.2022	धारा 304 भाग–2, 323 / 34, 294			से 12.05.2022 तक
4.	राजेन्द्र उर्फ टिल्लू	दिनांक 05.05.2022	दिनांक 10.05.2022	भादसं. की धारा 304 भाग–2, 323 / 34, 294	दोषमुक्त	निरंक	दिनांक 05.05.2022 से 12.05.2022 तक

(आत्माराम टांक)
नवम् अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
ग्वालियर (म0प्र0)

A R
TAUNK

Digitally signed
by A R TAUNK
Date: 2025.11.28
17:00:25 +0530